संख्या : 1931/1–10–2011–12(34)/2011

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 07 जुलाई, 2011

विषयः वर्ष 2010–11 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनॉक 30.06.2011 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वालें अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियो के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 **2,40,37,000/– (रूपये दो करोड़ चालीस लाख सैंतीस हजार मात्र)** निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य की प्रकृति
	विभागः– सिंचाई			
1.	ऊपरी गंगा नहर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत कांवड़ मार्ग को ठीक कराने की योजना।	128.88	128.88	पुननिर्माण/ पुर्नस्थापना
2.	कांवड़ मार्ग मो बेस तैयार कर आर0बी0एम0 डालने का कार्य।	111.49	111.49	पुननिर्माण/ पुर्नस्थापना
	योग	240.37	240.37	

.....2

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनरशि में से वर्ष 2010 में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स की मद सं0 – 18 के अधीन क्षतिग्रस्त साार्वजनिक परिसम्पत्तियों तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यो पर धनराशि कर आवश्यकता का निर्धारण करते हुये विभागीय मानको एवं लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्कफोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाये। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि उक्त निरीक्षण आख्या तथा जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख करतें हुये पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायेंगे।

4. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यो की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आंगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य, जो आपदा राहत निधि के लिये लागू शर्तो एवं प्रावधानो के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियो वाले हो तथा जिनकी कुल लागत रू0 20 लाख से अधिक न हो, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राहत समिति गठित की गयी है। उस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत रू0 20 लाख से अधिक, परन्तु रू0 1 करोड़ से कम हो तो कार्य के अनुमोदन हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3253/1–10–2008–12(73) /2008, दिनॉक 22 सितम्बर, 2010 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा निर्देशो का संबंधित जनपदो द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....3

5. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृति उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हतु प्रयोग कदापि न किया जाये। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई है।

7. बाढ़ के अतिरिक्त यह किसी क्षेत्र विशेष में 150 मी0मी0 वर्षा 24 घण्टे के अन्दर रिकार्ड की गई हो तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स में अतिवृष्टि की घटना मानते हुये दैवी आपदा माना जायेगा।

8. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओ के अन्तर्गत कराया जाये तथा जिला स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत निधि द्वारा गठित तकलीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विभाग को धनराशि उस सीमा मक ही तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन संबंधी परियोजनाओ पर व्यय हेतु निर्गत की जाये। संबंधित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाये कि अक्त परियोजनाओं में वांछित मानको के अनुरूप वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

9. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसगंत नियमो/शासकीय निर्देशो के अधीन ही किया जायेगा।

10. उक्त स्वीकृत धनराशि से बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियो को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियो की तात्कालिक प्रकृति के कार्यो को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन के उपरान्त फोटोग्राफी कराकर व्यय संबंधी मास्टर रोल, एम0बी0 तथा संबंधित वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यो की निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाये जिसके अन्तर्गत जनपद में किये गये आपदा संबंधी कार्यो का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियो को उपलब्ध कराया जाये तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाये।

.....4

11. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः क्षति के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

12. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

13. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

14. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

7/07/11

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या–1931(1)/1–10–2011–12(34)/2011, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– मण्डलायुक्त मेरठ।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त ।
5– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजियाबाद।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 ।
7– राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेब साइट के उपयोगार्थ ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

07/07/11

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव